कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर

दूरभाष क्रमांक–07582–223644, ई–मेल deosag-mp@nic.in

क्रमांक/स्थापना/युक्तियुक्तकरण/2019/3755 सागर दिनांक 22-06-19

प्रति,

1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी .... (समस्त) जिला सागर
2. विकासखंड स्रोत समन्वयक..................... (समस्त) जिला सागर

विषय :– राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2019–20 अंतर्गत अतिशेष का निर्धारण कर सूची प्रस्तुत करने बावत।

संदर्भ :– म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 01–17/2019/20–1 भोपाल दिनांक 22.06.2019

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर दिनांक 22.06.2019 से 31.07.2019 तक की अवधि में स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल करते हुए वर्ष 2019–20 हेतु स्थानांतरण नीति जारी की गई है। प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में वर्तमान में पदस्थ शिक्षकों का विषयमान/संख्यामान एवं अन्य शासनादेशों के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाना है। विभिन्न स्तरों पर अतिशेष के चिन्हांकन हेतु निम्नुसार कार्यवाही करें –

1. **प्राथमिक शाला –**

शिक्षकों की सख्या का निर्धारण निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के अनुसार एवं इस बावत शासन द्वारा जारी निर्देश/पदसंरचना के अनुसार किया जाना है। आरटीई 2009 अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में पद संरचना इस प्रकार होगी –

दर्ज संख्या		आवश्यक शिक्षक संख्या
60 तक	–	02
61 से 90	–	03
91 से 120	–	04
121 से 200	–	05
200 से ऊपर	–	प्रत्येक 40 पर 1 शिक्षक
150 से अधिक होने पर	–	प्रधानाध्यापक

शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध विगत 3 शैक्षणिक सत्रों 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के औसत नामांकन के आधार पर अतिशेष संख्या का चिन्हांकन किया जाए। अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम शिक्षक को स्थानांतरित किया जाएगा। कनिष्ठतम से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ट होने से है, न कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि से। यहां स्पष्ट किया जाता है कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त अथवा ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा निवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय शेष है उन्हें अतिशेष न मानते हुए अगले क्रम पर उपलब्ध कनिष्ठ शिक्षक को स्थानांतरित किया जावेगा।

2. **माध्यमिक शाला –**

आटीई अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में पद संरचना इस प्रकार होगी –

दर्ज संख्या	कुल शिक्षक संख्या	विषयमान का क्रम
105	03	1. गणित 2. अंग्रेजी 3. सामा.विज्ञान
106 से 140	04	अतिरिक्त संस्कृत
141 से 175	05	अतिरिक्त विज्ञान
176 से 210	06	अतिरिक्त हिन्दी

दर्ज संख्या अधिक होने पर उपरोक्तानुसार प्रत्येक 35 पर क्रमशः विषयों छात्र संख्या 100 होने पर पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत रहेगा। उपरोक्तानुसार विषयवार संख्या के आधार पर शिक्षकों का निर्धारण करते समय उनके स्नातक स्तर के विषय देखे जाएं, तदनुसार ही अतिशेष घोषित किया जाए, शेष निर्देश प्राथमिक शिक्षक अनुसार ही रहेंगे।

3. **हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय के लिए –**

हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के लिए पद संरचना शासन आदेश क्रमांक 27–2/2013/20–2 दिनांक 11.03.2013 के अनुसार उक्त पद संरचना के आधार पर जिन विद्यालयों में संख्या मान से अथवा विषयमान से निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष किया जायेगा, ध्यान रहे शिक्षक को नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय को ही मान्य किया जाए, यदि किसी प्रकरण में नियुक्ति आदेश में दर्शाये विषय से स्पष्टता न आ रही हो ऐसी स्थिति में संबंधित के अध्यापक हेतु स्नातक एवं वरिष्ठ अध्यापक हेतु स्नात्कोत्तर के विषयां का सूक्ष्मता से सेवा अभिलेख परीक्षण करते हुए विषय निर्धारण किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र। प्रमाणीकरण संबंधित शिक्षक से इस आशय के साथ प्राप्त किया जाए कि उसके द्वारा भविष्य में इसे परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, तथा ततसंबंध शपथ पत्र सेवा पुस्तिका में चढ़ाया जाये।

अतिशेष की स्थानांतरण से संबंधित शेष शर्त उपरोक्तानुसार ही रहेगी, शासन द्वारा स्थानांतरण नीति में समय–सारणी घोषित की गई है, अतः अतिशेष का निर्धारण दिनांक 24.06.2019 को सायंकाल 5.00 बजे तक अनिवार्यतः करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समक्ष में उपस्थिति होकर जमा करना सुनिश्चित करें।

अन्य निर्देश निम्नानुसार है –

- प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में अतिशेष का निर्धारण विकासखंड स्रोत समन्वयक, शासन निर्देशानुसार करेंगे। संबंधित क्षेत्र के जनशिक्षक संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
- हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में अतिशेष का निर्धारण विकासखंड शिक्षा अधिकारी करेंगे। संबंधित संकुल प्राचार्य संपूर्ण जानकारी अपने संकुल अधीन शालाओं से प्राप्त कर संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- अतिशेष का निर्धारण करते समय संदर्भित पत्र द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में दिए निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर अक्षरतः पालन सुनिश्चित किया जाये।
- समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वय द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन करने के उपरांत इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए, कि उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य कोई अतिशेष शिक्षक शेष नहीं है।
- जिन शिक्षकों को अतिशेष घोषित किया जाए, उन्हें संदर्भित पत्र की कंडिका 1.4 अनुसार ऑनलाईन आवेदन समयसीमा में करने हेतु लिखित में अवगत कराया जावे।

संलग्न :– प्रपत्र

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर

पृ. क्रमांक/स्थापना/युक्तियुक्तकरण /2019/3756
सागर दिनांक 22-06-19

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र सागर की ओर दूरभाष पर हुई चर्चा अनुसार कार्यवाही समयसीमा में सुनिश्चित कराने हेतु अग्रेषित।
5. समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के अतिशेष शिक्षकों की जानकारी में दिए निर्देशानुसार दिनांक 24.06.19 को दोपहर 3.00 बजे तक निम्न प्रपत्र में सापटकॉपी एवं हाईकॉपी में अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यतः उपलब्ध करायेंगे। विलंब की स्थिति में अतिशेष शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं होने के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर